WESTERN RAILWAY

P.S.No.99/2012

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 839/0 Vol.V

Date: 01.10.2012

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub : Modified Assured Career Progression Scheme for Railway Servants – treatment of employees selected under LDCE / GDCE Scheme – Clarification regarding.

==========

A copy of Railway Board's letter S.No.PC-VI/299 No.PC-V/2009/ACP/2 dated 12.09.2012 (R.B.E.No.100/2012) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

10/10/2012

(S. Kademani)
Dy. CPO(HRD)
For General Manager(E)

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD)/रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VI/ 299
No. PC-V/2009/ACP/2

RBE No.100/2012
New Delhi, dated 12 /09/2012

The General Manager/OSDs/CAO(R)
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: MACP Scheme for Railway servants – treatment of employees selected under LDCE/GDCE Scheme - clarification reg.

References have been received from Zonal Railways seeking clarification regarding grant of benefits under MACPS in respect of the employees qualifying through LDCE/GDCE. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel & Training (DoP&T), the nodal department of Government on MACPS and it has been decided as under:-

(i) if the relevant RRs provide for filling up of vacancies in a grade by Direct Recruitment, induction of an employee to that grade through LDCE/GDCE may be treated as Direct Recruitment for the purpose of grant of financial upgradation under MACPS. In such cases past service rendered in a lower pay scale/Grade Pay shall NOT be counted for the purpose of MACP Scheme.

(ii) if the relevant RRs prescribe a promotion Quota to be filled on the basis of LDCE/GDCE, such appointment would be treated as promotion for the purpose of benefit under the MACPS and in such cases, past regular service shall also be counted for further benefits, if any, under the MACP Scheme.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Hindi version is enclosed.

(N. P. Singh)
Dy. Director/ Pay Commission-V
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्र.सं.-VI/ 299
सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2

आरबीई सं. 100 /2012
नई दिल्ली, दिनांक 12 /09/2012

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(रेलें)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषयः एलडीसीई/जीडीसीई योजना के अंतर्गत चुने गए रेल कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें एलडीसीई/जीडीसीई के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी), जो एमएसीपीएस के संबंध में सरकार का नोडल विभाग है, के परामर्श से जांच की गई है और निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(i) यदि संगत भर्ती नियमों में सीधी भर्ती द्वारा ग्रेड में रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जाती हो तो एलडीसीई/जीडीसीई के माध्यम से उस ग्रेड में कर्मचारी के समावेशन को एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेशन देने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के रूप में माना जाए। इस प्रकार के मामलों में निम्न वेतनमान/ग्रेड पे में की गई विगत सेवा को एमएसीपी योजना के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।

(ii) यदि संगत भर्ती नियमों में एलडीसीई/जीडीसीई के आधार पर भरा जाने वाला पदोन्नति संबंधी कोटा निर्धारित हो तो इस प्रकार की नियुक्ति को एमएसीपी के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पदोन्नति के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार के मामलों में पिछली नियमित सेवा को एमएसीपी योजना के अंतर्गत आगे लाभों, यदि कोई हो, के लिए भी गिना जाएगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन.पी. सिंह)
उप निदेशक/ वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड